

न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश  
(समक्ष: श्री गोपेश गर्ग)

प्रकरण क्रमांक : 02/16ए इ0दी0

संस्थापन दिनांक : 14.01.2016

1. राहुल पुत्र रामनिवास आयु 10 वर्ष
2. कु0 स्नेहा पुत्री रामनिवास आयु 6 वर्ष दोनों जाति ब्राम्हण नाबालिग सरपरस्त श्रीमती आरती पत्नी रामनिवास मां स्वयं, निवासी ग्राम गडरौली व लक्ष्मन तलैया गोहद हाल निवास त्यागी नगर परमार ठेकेदार की बगिया के पास मुरार ग्वालियर म.प्र.
3. श्रीमती आरती पत्नी रामनिवास आयु 28 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम गडरौली व लक्ष्मन तलैया गोहद हाल निवास त्यागी नगर परमार ठेकेदार की बगिया के पास मुरार ग्वालियर म.प्र.

——वादीगण

**बनाम**

1. जगदीश प्रसाद पुत्र गेंदालाल आयु 65 वर्ष जाति ब्राम्हण धन्धा खेती निवासी ग्राम गडरौली परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
2. रामनिवास आयु 36 वर्ष
3. कौशल आयु 25 वर्ष पुत्रगण जगदीश प्रसाद जाति ब्राम्हण धन्धा खेती निवासी ग्राम गडरौली परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
4. श्रीमती सरोज पुत्री जगदीश प्रसाद पत्नी उमेश आयु 32 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम सेंथरी थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर म.प्र.
5. श्रीमती प्रीति पुत्री जगदीश प्रसाद पत्नी विवेक शर्मा आयु 27 वर्ष निवासी कोट का कुंआ गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
6. म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर जिला भिण्ड

——प्रतिवादीगण

आदेश

( आज दिनांक..... को पारित )

1. इस आदेश के द्वारा वादीगण के राजीनामा आवेदन का निराकरण किया जा रहा है।
2. आवेदन पत्र के तथ्यानुसार प्रकरण में न्यायालय के बाहर पक्षकारों का स्वेच्छापूर्वक राजीनामा हो गया है। आरती के संरक्षण में राहुल और स्नेहा रहते हैं और उसी के द्वारा उनकी देखभाल की जाती है जिनके हित के विपरीत आरती के हित नहीं हैं और आरती उनकी मां है अतः राजीनामा के आधार पर प्रकरण इसी स्टेज पर समाप्त किए जाने का निवेदन किया है। समर्थन में आरती ने स्वयं का शपथपत्र और अधिवक्ता श्री गब्बरसिंह गुर्जर ने स्वयं का प्रमाणीकरण पेश किया है।
3. प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 के अधिवक्ता ने आवेदन पर अनापत्ति व्यक्त की है। प्रतिवादी क्रमांक 5 व 6 एकपक्षीय रहे हैं जिन्होंने जवाब न देना व्यक्त किया है।
4. वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक संपत्ति है जिसमें अनावेदक क्रमांक 1 कर्ता खानदान है। अतः वादग्रस्त संपत्ति में वादी क्रमांक 1 व 2 को 1/3 भाग पर स्वत्व व अधिपत्य की घोषणा और बंटवारा और वादी क्रमांक 3 आरती के भरण पोषण के अधिकार की घोषणा और भूमि हस्तांतरित न करने तथा वादीगण के अधिपत्य में हस्तक्षेप न करने की स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा गया है।
5. प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र प्रतिवादीगण द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। राजीनामा आवेदन में प्रकरण समाप्त करने की कार्यवाही की प्रार्थना की है। अतः सारतः वाद के प्रत्याहरण के अनुतोष रूपी प्रार्थना की गयी है। वादी क्रमांक 1 व 2 अवयस्क हैं जिनकी वादमित्र उनकी माता आरती है जिसके द्वारा स्वयं का शपथपत्र पेश कर राजीनामा अवयस्क के हितों में ही होना वर्णित किया है। इस संबंध में वादी अधिवक्ता द्वारा स्वयं का प्रमाणीकरण भी पेश किया गया है। वादी साक्ष्य के चरण पर वर्तमान राजीनामा पेश किया गया है।
6. अतः आदेश 23 नियम 1 सीपीसी के अधीन राजीनामा आवेदन पत्र में वाद समाप्त करने की प्रार्थना के परिणामस्वरूप वाद प्रत्याहरित होने से निरस्त किया जाता है। वादीगण को इसी वाद हेतुक पर पुनः वाद लाने की अनुमति नहीं दी जाती है।
7. उभयपक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ा जाये। प्रकरण परिणाम अंकित कर अभिलेखागार भेजा जाये।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं  
दिनांकित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित

सही /—

(गोपेश गर्ग)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सही /—

(गोपेश गर्ग)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)